

IN THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, NEW DELHI

Original Application No. 494/2022

Soban Singh Rana

Applicant

Versus

Roshan Lal Uniyal and ors.

Respondents

INDEX

Sl. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Compliance Affidavit	1-3
2.	<u>Annexure No. 1</u> Copy of letter dated 14.11.2024	4
3.	<u>Annexure No. 2</u> Copy of order dated 14.11.2024	5
4.	<u>Annexure No. 3</u> Copy of report of the joint committee dated 16.11.2024	6-9

Dated: November 2024



MUKESH VERMA
Advocate for the Respondent No.2 UKPCB
Chamber No. 50,
Old Block,
Supreme Court of India,
New Delhi



Original Application No. 494/2022

Soban Singh Rana

Applicant

Versus

Roshan Lal Uniyal and ors.

Respondents

**COMPLIANCE AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT/
UTTARAKHAND POLLUTION CONTROL BOARD**

I, Dr. Parag Madhukar Dhakate, aged about 47 years, S/o Sh.

M.B. Dhakate Presently posted as Member Secretary, Uttarakhand

Pollution Control Board, Dehradun, hereby solemnly affirm and state

on oath as under: -

1) That the deponent is presently posted as the Member Secretary, Uttarakhand Pollution Control Board Uttarakhand and is competent to sign and swear the instant affidavit.

2) That the matter was listed before the Hon'ble NGT on 22.10.2024, wherein the Hon'ble tribunal was pleased to direct:

“

3. Further, from Joint Committee report we find that debris/mud includes the material obtained from cutting of hills if and that is so, it amounts to mining activities. Whose conducting the mining activities no investigation has been conducted by concerned authorities in this respect and no action has been taken.



4. We accordingly direct Uttarakhand State Pollution Control Board and District Magistrate concerned to enquire into this aspect and submit an additional reply.

.....”

3) That in compliance of the aforesaid directions of the Hon'ble Tribunal, the Member Secretary, UKPCB vide Letter no. UKPCB/ H.O./S.No.183-589/2024/1119, dated 14.11.2024 directed the Regional Officer, Dehradun to coordinate with the District Magistrate, Uttarkashi and submit the report to UKPCB. Copy of the letter dated 14.11.2024 is being marked and filed as **Annexure No.1.**

4) That vide order no. 898/21-MB 2021-22, dated 14.11.2024, the District Magistrate, Uttarkashi constituted a committee comprising of Sub-District Magistrate Dunda (Chairman), Regional Officer, UKPCB and Geology and Mining Unit Uttarkashi and directed the Committee to investigate the site in question. Copy of the order dated 14.11.2024 is being marked and filed as **Annexure No.2.**

5) That in compliance with the above, the Joint Committee conducted a field inspection of the site in question on 16.11.2024 and submit the report before the Member Secretary, UKPCB. Copy of the report of the committee is being marked and filed as **Annexure No.3.**

6) That the deponent is a responsible Government Officer having the highest regards for the Hon'ble Tribunal and orders passed by them. The deponent has always made his sincerest efforts to carry

 2.




out the orders passed by this Hon'ble Tribunal in its letter and spirit and shall continue to do so in the future.



Deponent


Verification: -

Verified at Dehradun on the 21 day of November, 2024, that the contents of the accompanying compliance affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief based on the official record and nothing is false, and no material has been concealed therein.

Dated- 21 November 2024


Deponent








FILED BY

MUKESH VERMA
Advocate for the Respondent No.2 UKPCB
Chamber No. 50,
Old Block,
Supreme Court of India,
New Delhi

S.NO=7047

This affidavit is sworn before me by
Shri. Mukesh Verma
who is identified by Shri. Mukesh Verma
at Dehradun on 21/11/24


(Rajender Singh Negi)
Advocate & Notary, Dehradun



पत्रांक : यूकेपीसीबी / एच.ओ. / सा0-183-589 / 2024 / 1119,

दिनांक 14.11.2024
एन0जी0टी0 मैटर

सेवा में,

क्षेत्रीय अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण मे योजित मूल आवेदन सं0-494/2022 सोबन सिंह राणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2024 के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषय मा0 हरित अधिकरण मे योजित मूल आवेदन सं0- 494/2022 सोबन सिंह राणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में मा0 हरित अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें। प्रकरण में मा0 हरित अधिकरण द्वारा अन्य निर्देशों के साथ निम्न निर्देश निर्गत किये गये हैं:-

4. We accordingly direct Uttarakhand State Pollution Control Board and District Magistrate concerned to enquire into this aspect and submit an additional reply.

उपरोक्त निर्देश के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में जिलाधिकारी, उत्तरकाशी से समन्वय कर सुस्पष्ट आख्या तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें। जिससे मा0 हरित अधिकरण में reply ससमय दाखिल किया जा सके। प्रकरण में अगली सुनवाई दिनांक 25.11.2024 को नियत है।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय


(डा0 पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव



:: आदेश ::

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-494/2022 सोबन सिंह राणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे मा0 हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2024 के अनुपालन में उक्त प्रकरण की संयुक्त रूप से जांच करने हेतु उप जिलाधिकारी डुण्डा की अध्यक्षता में निम्न प्रकार समिति गठित की जाती है।

- | | |
|--|---------|
| 1- उप जिलाधिकारी डुण्डा - | अध्यक्ष |
| 2- क्षेत्रीय अधिकारी उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण देहरादून- | सदस्य |
| 5- भूवैज्ञानिक/ भूतत्व एवं खनिकर्म ईकाई उत्तरकाशी - | सदस्य। |

उक्त समिति को निर्देश दिये जाते है कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2024 के क्रम में प्रश्नगत प्रकरण की मौके पर जाकर संयुक्त रूप से जांच करते हुए अपनी सुस्पष्ट जांच आख्या एक तीन दिन के अन्दर इस कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।


(डा0 मेहरबान सिंह विष्ट)
जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी।

संख्या-898/21-एम0बी0 (2021-22)

दिनांक 14 नवम्बर 2024

प्रतिलिपि- उपरोक्त नामित अधिकारियों को मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2024 की प्रति सहित अनुपालनार्थ प्रेषित।


जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।



LIFE
Lifestyle For
Environment

क्षेत्रीय कार्यालय

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
ई-115, नेहरू कॉलोनी, देहरादून-248001
टेली फोन नं.-0135-3593200

पत्रांक सं०-यूकेपीसीबी/आरओडी/एन०जी०टी०-58 / 2024-25 / 2663 - 1376 दिनांक: 19/11/24

सेवा में,

सदस्य सचिव महोदय,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
गौरा देवी पर्यावरण भवन,
46बी, आई०टी० पार्क, सहस्त्रधारा रोड़,
देहरादून।


विषय- मा० एन०जी०टी० में योजित मूल आवेदन संख्या-494/2022 सोबन सिंह राणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 22.10.2024 के अनुपालन में निरीक्षण आख्या।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित मूल आवेदन संख्या-494/2022 सोबन सिंह राणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 22.10.2024 के अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक संख्या-यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा-183-589/2024/1119 दिनांक 14.11.2024 के अनुपालन में जिला प्रशासन, उत्तरकाशी के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण दिनांक 16.11.2024 को किया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न कर सादर प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय


(अमित पोखरियाल)
क्षेत्रीय अधिकारी

:: संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आख्या ::

विषय- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या-494/2022 सोबन सिंह राणा बनाम उत्तराखण्ड राज्य मे मा0 हरित प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 22.10.2024 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

उपरोक्त के अनुपालन में कार्यालय जिलाधिकारी महोदय उत्तरकाशी के आदेश संख्या-898 /21-एम0बी0 2021-22 दिनांक 14 नवम्बर,2024 को गठित संयुक्त समिति (जिला प्रशासन, उत्तरकाशी, भूवैज्ञानिक/भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तरकाशी एवं राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड देहरादून) द्वारा दिनांक 16.11.2024 को प्रश्नगत स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया गया। मा0 एन0जी0टी0 द्वारा आदेश संख्या-22.10.2024 के क्रम में संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत है:-

- ❖ प्रश्नगत स्थल पर जिला प्रशासन द्वारा कोई डम्पिंग साईट Construction and Demolition Waste Mangement Rule. 2016 के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं की गई है। प्रश्नगत स्थल पर मलवा किसी सिविल कन्स्ट्रक्शन, ढांचे आदि का अवशेष Construction and Demolition Waste नहीं है।
- ❖ प्रश्नगत स्थल पर पूर्व से डम्पिंग किये गये मलवे के उपर हिल रिवर व्यू रिसॉर्ट निर्मित किया गया है जिसमें जिला कार्यालय के पत्र संख्या-6677/21-(2021-22) दिनांक 01.08.2022 के क्रम में श्री रोशन लाल उनियाल पुत्र श्री काशी राम उनियाल ग्राम सैणी तहसील डुण्डा के द्वारा अपने निजी नाप भूमि पर अवैध मलवा डम्पिंग का स्थलीय संयुक्त निरीक्षण दिनांक 08.08.2022 को राजस्व विभाग व भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग उत्तरकाशी के द्वारा किया गया जिसमें पाया गया श्री रोशन लाल उनियाल द्वारा अपनी भूमि में 1584 टन मलवा/मिट्टी बिना अनुमति एकत्रित/भण्डारित किया गया था। जिसमें कुल 3,38,897/- ₹0 का अर्थदण्ड आरोपित किया जा चुका है।


जिसके उपरान्त कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी द्वारा प्रथम नोटिस संख्या-2622/32-एम0बी0-अवैध खनन (2021-22) दिनांक 15 सितम्बर,2022 एवं द्वितीय नोटिस संख्या-2134/32-एम0बी0-अवैध खनन (2021-22) दिनांक 09 जनवरी,2023 को प्रेषित किया गया। उक्त के उपरान्त विपक्षी द्वारा मण्डलायुक्त गढवाल के कार्यालय में अपील की गई है, जिसकी कार्यवाही मण्डलायुक्त गढवाल के कार्यालय में गतिमान है।

- ❖ समिति के सदस्यों द्वारा निरीक्षण के समय पाया गया है कि:-


1-प्रश्नगत डम्पिंग जोन भागीरथी नदी से 63 मीटर की दूरी पर "हिल रिवर व्यू रिसॉर्ट" निर्मित है डम्पिंग जोन एवं नदी के मध्य 63 मीटर का क्षेत्र एक समतल भू-भाग है। उक्त होटल निर्माण के लिए जिला पंचायत उत्तरकाशी से मानचित्र स्वीकृत है एव राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जलवायु अधिनियमों के अन्तर्गत संचालन की सहमति निर्गत की गई है।

2-प्रश्नगत स्थल एक निजी नाप भूमि का भू-भाग है जिसमें डम्पिंग किये जाने से पूर्व जिला प्रशासन से कोई पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की गई है। बिना पूर्व अनुमति के भूमि के स्वरूप में परिवर्तन किये जाने के उद्देश्य से मलवा डम्पिंग किया गया है, जिसमें जिला स्तर से कार्यवाही की जा चुकी है।


उपरोक्त आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।


(एस0एस0 चौहान)


सहायक वैज्ञानिक अधिकारी
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
देहरादून।


(प्रदीप)

सहा0भू0वै0/जिला खान अधि0
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग
उत्तरकाशी।


(अनिल काम्बोज)

तहसीलदार
डुण्डा।


(देवानन्द शर्मा)
उपजिलाधिकारी डुण्डा

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
डुण्डा।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
उत्तरकाशी।

संख्या 334/पी0ए0- निरी0 जाच/ 2022

दिनांक 02 सितम्बर, 2022

विषय :- तहसील डुण्डा क्षेत्रन्तर्गत सैणी नामक (निकट कचडू देवता मन्दिर) स्थल पर मलवा के अवैध डम्पिंग के निरीक्षण के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय के पत्र सं0 6677/21- (2021-22), दिनांक 01 अगस्त, 2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। जिस हेतु श्री रोशन लाल उनियाल पुत्र काशीराम उनियाल ग्राम सैणी तहसील डुण्डा के द्वारा अपनी निजी नाप भूमि पर अवैध मलवा डम्पिंग किये जाने के सम्बन्ध में राजस्व विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के द्वारा दिनांक 08.08.2022 को संयुक्त निरीक्षण किया गया।

अतः श्री रोशन लाल उनियाल पुत्र काशीराम उनियाल ग्राम सैणी तहसील डुण्डा के द्वारा अपनी निजी नाप भूमि पर अवैध मलवा डम्पिंग की संयुक्त निरीक्षण आख्या विन्दुवार मूल में संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीया,


उप जिलाधिकारी,
डुण्डा।

-: संयुक्त निरीक्षण आख्या :-


जिलाधिकारी, महोदय, जनपद उत्तरकाशी के आदेश संख्या 6677/21-(2021-22), दिनांक 01 अगस्त, 2022 के क्रम में प्रश्नगत स्थल गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग सैणी नामक स्थल (निकट कच्चडू देवता मन्दिर) के पास अवैध डम्पिंग का राजस्व विभाग एवं भूतत्व खनिकर्म विभाग के प्रतिनिधियों द्वारा शिकायतकर्ता श्री सोबन सिंह राणा के प्रतिनिधी श्री उपेन्द्र सिंह रावत भूस्वामी प्रतिनिधी श्री रामचन्द्र उनियाल जनपद उत्तरकाशी की उपस्थिति में दिनांक 08.08.2022 को संयुक्त निरीक्षण सम्पन्न किया गया, जिसकी बिन्दुवार आख्या निम्नवत् है:-


- 1- प्रश्नगत डम्पिंग स्थल जनपद उत्तरकाशी मुख्यालय से 15 कि०मी० तहसील डुण्डा से 1.5 कि०मी० निकट कच्चडू देवता मन्दिर, महर्षि आश्रम के निकट डाउनहिल में अवस्थित है।
- 2- प्रश्नगत स्थल के मध्य भाग की भौगोलिक स्थिति 30°43'14.68"N 78°21'36.90"E तथा msl से लगभग 950m मीटर पर अवस्थित है।
- 3- प्रश्नगत स्थल तहसील डुण्डा क्षेत्रान्तर्गत खसरा संख्या 718 कुल रकवा 0.160 है० निजी नाप भूमि है जो श्री रोशन लाल उनियाल पुत्र श्री काशीराम उनियाल ग्राम सैणी विकासखण्ड डुण्डा जनपद उत्तरकाशी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज है।
- 4- प्रश्नगत स्थल पर आलवेदर सड़क निर्माण कार्य के दौरान पहाड़ कटान से उत्सर्जित मलवा बिना अनुमति के एकत्रित/भण्डारित किया गया है।
- 5- स्थलीय निरीक्षण के दौरान प्रश्नगत स्थल पर आलवेदर सड़क निर्माण कार्य के दौरान पहाड़ कटान से उत्सर्जित मलवा बिना अनुमति के एकत्रित/भण्डारित किया गया है। जिसका मापन करने पर लम्बाई 40 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर और ऊँचाई 1 मीटर की पृथक-पृथक तीन ढेरियां 1650 टन उपखनिज पाया गया है।
- 6- बिना ई-स्वन्ना के उपखनिज का भण्डारण किया जाना अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण की श्रेणी में आता है। जिस पर उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली-2021 दिनांक 10.11.2021 के बिन्दु सं० 14 (5) (क) के अनुसार कार्यवाही किया जाना प्रावधानित है। जो निम्नवत् है:-


उपखनिज मात्रा (टन में)	मूल रायल्टी (₹में)	पेनल्टी 2 गुना	रायल्टी का 2% (₹में)	रायल्टी का 15% (₹में)	रायल्टी का 25% (₹में)	कुल आरोपित धनराशि (₹में)
1584	1,40,040	2,80,080	2,801	21,006	35,010	3,38,897


उपरोक्तानुसार श्री रोशन लाल उनियाल पुत्र श्री काशीराम उनियाल ग्राम सैणी विकासखण्ड डुण्डा जनपद उत्तरकाशी पर उपरोक्त आगणन के अनुसार अर्थदण्ड की कुल ₹ 3,38,897.00 (तीन लाख अड़तीस हजार आठ सौ सत्तनब्बे मात्र) की धनराशि पृथक-पृथक निर्धारित लेखा शीर्षक/निर्धारित बैंक खाते में जमा कराये जाने हेतु संस्तुति की जाती है।

अतः उपरोक्त आख्या महोदय को अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित।


(राजेश नाथ)
राजस्व उपनिरीक्षक, वीरपुर।


(प्रताप सिंह चौहान)
तहसीलदार, तहसील डुण्डा।


(जी०डी० प्रसाद)
उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक उत्तरकाशी।


(मीनाक्षी पटवाल)
उप जिलाधिकारी
तहसील डुण्डा/चिन्ग्यालीसोड।